आ.क्र. 1342 13/10/03

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : **अनुग्रह वेलफेयर फाउण्डेशन** होगा।

2. संस्था का कार्यालय : **म.क्र.41, जल विहार, कालोनी, रायपुर (छ.ग.)**

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : **सम्पूर्ण छत्तीसगढ़** होगा।

4. संस्था का उद्देश्य :

1. शासन प्रशासन से लोकोपयोगी व्यक्तिगत, सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु बीच की कंडी बनकर आमजन तक पहुंचाते हुये उसके क्रियान्वयन में हर संभव मदद करना।
2. सहयोग की भावना को प्रबल करते हुये भाईचारे के साथ सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य मानवीय एकता की स्थापना तथा समाज का विकास करना। धार्मिक पर्वो–त्यौहारों को भी एकजुट होकर मिसाल कायम करना।
3. शिक्षा तथा वृक्षारोपण के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण स्तर पर राज्य और केन्द्र शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए उसे विद्यालय एवं महाविद्यालय खोलना क्रियान्वित करना।
4. बाल कल्याण संबंध साहित्य, शोध तथा प्रशिक्षण के लिये बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना।
5. अंध मूक, बधिर तथा विकलांग व मानसिक रूप से विकलांग व एड्स और सिकलिंग बच्चों को शिक्षित कर उन्हें एक नई दिशा प्रदान करना।
6. नशामुक्ति के लिए वातावरण तैयार करना तथा परामर्श केन्द्र के संबंध में जानकारी व सुविधा प्रदान करना।
7. समाज के विकास हेतु महिलाओं में एकता की भावना जागृत करना। अपचारी, उपेक्षित किशोरों को मार्गदर्शन देना एवं शिक्षण प्रशिक्षण तथा पुर्नवास के लिये कार्य करना।
8. आपदाओं में सेवा कार्य संचालित करना।
9. ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं एवं बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास हेतु कार्य करना।

सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें छत्तीसगढ़ (मुहर)

5. **सदस्यता :** संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) संरक्षण सदस्य : संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 1001/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 501/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 500/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य : जो व्यक्ति रू. 20/- प्रतिमाह एवं 240/- प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्मानीय सदस्य : संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

6. **सदस्यता की प्राप्ति :**

प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यता :**

संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति :** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-
(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग-पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5) चरित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :-

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो
(4) सदस्यों की हस्ताक्षर मय तिथि में

10.(अ) साधारण सभा : साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :

प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह में होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगा। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष :

यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना (छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :

ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) सह सचिव (5) कोषाध्यक्ष एवं सदस्य-3 होंगे।

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :

प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगा किन्तु उक्त अवधि माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य :

(1) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(2) पिछले वर्ष का आय, व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(3) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(4) कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(5) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(6) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(7) जनता तथा राज्य, केन्द्र शासन एवं संस्थाओं प्रतिष्ठानों से दान, आर्थिक सहयोग शुल्क लेना।

15. अध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की , समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना विर्क्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नही की जायेगी।

(3) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा को विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत

करेगी, साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने तक उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

(4) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(5) समिति के सारे कागजातों का तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(6) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 1000/- करने अधिकार होगा।

18. <u>संयुक्त सचिव के अधिकार :</u>

सचिव के कार्यो में सहयोग करना तथा सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

19. <u>कोषाध्यक्ष के अधिकार :</u>

समिति की धनराशि पर पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. <u>बैंक खाता :</u>

संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 2000/- रहेंगे।

21. <u>पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :</u>

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय-नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

22. <u>संशोधन :</u>

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. <u>विघटन :</u>

संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. सम्पत्ति :

संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क जमा की जावेगी।

25. बैंक खाता :

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट-आफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :

संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. विवाद :

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

शुल्क 180/ चालान क्र. 0698 दि. 9/10/23
द्वारा जमा किया गया है पंजीयन क्रं 2416
दिनांक 15/4/2000 द्वारा पंजीकृत संस्था की
मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी
का दिनांक 13/10/2023

TC
(हस्ताक्षर) 13/10/2023
(अनुपमा कुजूर)
समितियो के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)